


आदेश


1. श्री अरविन्द कुमार सिंह, सेवा निवृत्त होने के पश्चात् वित्त विभाग के संकल्प सं० 2925 दिनांक 31.03.1976 एवं पत्रांक 1853 दिनांक 19.04.1990 के आलोक में 90%(नब्बे प्रतिशत) उपादान की कुल राशि रू० 9,99,000.00 (नौ लाख निन्यानबे हजार) मात्र औपबंधिक रूप से भुगतान हेतु स्वीकृति किया जाता है।
2. औपबंधिक राशि का भुगतान जिला कोषागार, सिमडेगा से किया जायेगा।
3. महालेखाकार झारखंड, राँची से पूर्व उपादान की राशि की स्वीकृति के पश्चात् यदि यह अधिक होगी तो उसकी वसूली 10% या 1000.00 (एक हजार) सुरक्षित राशि से समांजित कर ली जायेगी।

विश्वासभाजन


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
सिमडेगा।

पत्रांक..... सिमडेगा / दिनांक.....


प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
सिमडेगा।

पत्रांक: 312 सिमडेगा / दिनांक 9/4/2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. श्री अरविन्द कुमार सिंह, सेवा निवृत्त, कनीय अभियंता।
2. जिला कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा को विपत्र के साथ।
3. प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिमडेगा।
4. प्रमंडलीय विपत्र लिपिक, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, सिमडेगा।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल,
सिमडेगा।